भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1137
उत्तर देने की तारीख-10/12/2025

एक अनिवार्य विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा

1137 श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, शारीरिक साक्षरता तथा समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की परिकल्पना के अनुरूप सभी विद्यालयों में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) अब तक विद्यालयी समय-सारिणी में संरचित खेल पाठ्यचर्या, आकलन मानकों तथा समर्पित खेल सत्रों/कक्षाओं को शामिल करने के लिए कौन-से कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय अनिवार्य खेल शिक्षा का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु नए दिशा-निर्देश जारी करने अथवा युवा कार्य और खेल मंत्रालय, सीबीएसई और एनसीईआरटी के साथ सहयोग स्थापित करने का विचार रखता है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें एनईपी "खेल-एकीकृत अधिगम" दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है। एनईपी, 2020 का उद्देश्य खेलों को शिक्षा के एक मौलिक घटक के रूप में प्राथमिकता देकर स्कूलों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से, इस नीति का उद्देश्य एक नई पीढ़ी का सृजन करना है जो शारीरिक फिटनेस, मानसिक शक्ति और टीम वर्क को महत्व देती है। एनईपी, 2020 में प्रत्येक व्यक्ति के समग्र विकास के लिए पाठ्येतर गतिविधि के साथ-साथ पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में खेलों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

एनईपी, 2020 की सिफारिशों को लागू करने के लिए, दिनांक 23.08.2023 को प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (एनसीएफ-एसई) शुरू किया गया है। यह फ्रेमवर्क 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी से माध्यमिक चरणों तक शारीरिक शिक्षा और खेल सहित संपूर्ण शैक्षिक पहलुओं का समाधान करता है। यह फ्रेमवर्क बहु-विषयक शिक्षा की शुरूआत, मूल्यों का पोषण, सृजनात्मक शिक्षाशास्त्र को बढ़ावा देना, और व्यावहारिक समस्या-समाधान के लिए छात्रों को तैयार करता है। यह विभिन्न तरीकों से शिक्षा प्रणाली में खेलों को मुख्यधारा में लाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है और खेल आधारित शिक्षाशास्त्र पाठ्यचर्या प्रणाली में खेल और शारीरिक शिक्षा के विभिन्न आयामों को शामिल करता है।

एनईपी-2020 और एनसीएफ-एसई 2023 के अनुरूप, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 3-5 ग्रेड के लिए खेल-योग और 6-8 ग्रेड के लिए खेल-यात्रा नामक शारीरिक शिक्षा के लिए समर्पित पाठ्य पुस्तकें विकसित और प्रकाशित की हैं।

एनईपी की सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूलों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने के लिए एक सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (एचपीई) कार्यक्रम शुरू किया है। सीबीएसई ने सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने स्कूलों को प्रत्येक दिन सभी कक्षाओं के लिए एचपीई का एक पीरियड पढ़ाने का निर्देश दिया है। इन कक्षाओं के सभी छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कम से कम दो खेल गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य है। सीबीएसई ने कक्षा IX-XII के लिए विस्तृत पाठ्यचर्या और स्कूलों को मूल्यांकन मानदंड भी प्रदान किए हैं। साथ ही, जनवि और केविसं सभी स्कूलों में एनसीईआरटी/सीबीएसई के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन मानकों को लागू कर रहे हैं।

समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत, एक समर्पित 'खेल और शारीरिक शिक्षा' घटक के अंतर्गत खेल उपकरण खरीदने के लिए प्राथमिक विद्यालयों को ₹5,000, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ₹10,000 और माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को ₹25,000 का वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि खेलो इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स में कम से कम दो छात्र पदक जीतते हैं तो प्रति स्कूल 25,000 रुपये तक प्रदान किए जाते हैं। एनईपी की सिफारिशों के अनुसार विकसित एक व्यापक दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया है, जिसमें उचित निधि उपयोग, खेल संवर्धन, अवसंरचना रखरखाव, वार्षिक खेल कैलेंडर और दैनिक खेल गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि शिक्षा संविधान की

समवर्ती सूची का भाग है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासन के अधीन हैं, इसलिए इस नीति का कार्यान्वयन मुख्य रूप से उनके कार्यात्मक क्षेत्र में है।

खेल विभाग (डीओएस), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने खेलो भारत नीति, 2025 शुरू किया है, जो समग्र शिक्षा और समग्र बाल विकास के अभिन्न अंग के रूप में खेल और शारीरिक शिक्षा को मान्यता देकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के दृष्टिकोण के साथ निकटता से अनुकूलित है। एनईपी 2020 के अनुरूप, इस नीति में छात्रों में शारीरिक स्वस्थता, जीवन कौशल, अनुशासन, टीम वर्क और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में खेल, शारीरिक गतिविधि और कल्याण के एकीकरण पर बल दिया गया है। नीति का उद्देश्य संरचित पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यचर्या मध्यवर्तन, शिक्षकों और कोचों के क्षमता निर्माण और खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के माध्यम से स्कूलों में खेलों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना है। प्रभावी और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा स्कूल शिक्षा फ्रेमवर्क, अंतर-मंत्रालयी समन्वय और चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्यनीतियों के साथ अनुकूलन पर विचार-विमर्श करने और अंतिम रूप देने के लिए समय-समय पर कई परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं।

*****